

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 326/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-सिधारी:- गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक 06.05.2025 को वादी यशवन्त कुमार पुत्र खरभन राम निवासी ग्राम गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 05.09.2025 की रात्रि में 09 बजे विपक्षीय सतीश चन्द पुत्र जैराम राम, भीम पुत्र जैराम, डब्बू कुमार पुत्र हरभन, जयराम, गब्बू पुत्र हरफन, हरफन पुत्र भूलन द्वारा बच्चों के विवाद को लेकर घर पर आकर, घर में घुस कर गाली गलौज देते हुए लाठी डण्डे से मारना जिससे यशवंत कुमार पुत्र खरभन, अरून कुमार पुत्र खरभन, सुषमा पत्नी यशवंत कुमार, श्रीमती देवी पत्नी खरभन राम, खरभन राम पुत्र भुलन राम को काफी चोट आना तथा धमकी देना, इलाज के लिए वादी के पिता खरभन को अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 - 419/25 धारा - 3(5)/105/333/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 बनाम 1. सतीश चन्द पुत्र जैराम राम उम्र करीब 27 वर्ष 2.भीम पुत्र जैराम उम्र करीब 28 वर्ष 3. डब्बू कुमार पुत्र हरभन उम्र 30 वर्ष 4. जयराम पुत्र अज्ञात उम्र 45 वर्ष . गब्बू पुत्र हरफन उम्र करीब 28 वर्ष 6. हरफन पुत्र भूलन साकिनान गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 08.09.2025 को व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा भदुली ओवर ब्रिज से थोड़ा आगे पानी की टंकी के पास बहदग्राम भदुली से अभियुक्त भीम पुत्र जयराम निवासी ग्राम गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ करीब- 29 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 09.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. भीम पुत्र जयराम निवासी ग्राम गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ करीब- 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 -419/25 धारा - 3(5)/105/333/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़

02.कां0 इंदल कुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़



02.थाना-सिधारी:- नाजायज गांजे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 07.09.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ हमराह द्वारा नरौली के दक्षिण ओर जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया बहदग्राम नरौली से अभियुक्त रामनयन पुत्र समई निवासी मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 21.20 बजे 2.512 किलोग्राम गांजा व 900 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 423/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

1. 2.512 किलोग्राम गांजा
2. 900 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रामनयन पुत्र समई निवासी मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. 01.मु0अ0सं0-38/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. 02.मु0अ0सं0- 40/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. 03.मु0अ0सं0-43/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 277/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 30/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 169/22 धारा 8/20/27(a)/29 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 293/22 धारा 8/20/22/25 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-128/14 धारा 323/325/452/504/506 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
9. मु0अ0सं0- 423/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 423/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 01.उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
- 02.हे0कां0 मनोज यादव थाना सिधारी आजमगढ़
- 03.कां0 आदित्य कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
- 04.कां0 चन्द्रेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
- 05.कां0 सतीश गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़



03.थाना-रौनापार:- युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 14.08.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि उसकी नालाबालिग पोती को अभियुक्त गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई। अब मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव ग्राम सिवान दयालगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम **चालाकपुर प्राइमरी स्कूल थानाक्षेत्र रौनापार** से समय **करीब 10.05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 306/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव ग्राम सिवान दयालगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

02. का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



03.थाना-कंधरापुर:-युवती के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 04.09.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ स्कूल से आते-जाते समय अभियुक्त शेरु उर्फ शकील अहमद पुत्र इसरार अहमद ग्राम जोलहापुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष रास्ते में छिंटाकसी और छेड़खानी किया जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 277/25 धारा 74/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 9M/10 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(2), 115 (2), 352 ,351(3)बीएनएस एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट पाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 08.09.2025 को प्र0नि0 अनुराग कुमार मय हमराह मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शेरु उर्फ शकील अहमद पुत्र इसरार अहमद ग्राम जोलहापुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को सेहदा अन्दरपास के पास समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शेरु उर्फ शकील अहमद पुत्र इसरार अहमद ग्राम जोलहापुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 277/25 धारा 65(2), 115 (2), 352 ,351(3)बीएनएस एवं 5 एम/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनुराग कुमार थाना कंधरापुर आजमगढ़
2. हे0का0 कौशलेश सिंह थाना कंधरापुर आजमगढ़
3. हे0का0 भानू प्रताप यादव थाना कंधरापुर आजमगढ़

